Gen. No. 13

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 57/2018(RCMS : 2018/00108) सिंडिकेट बैंक शाखा 7–बी रविन्द्र पथ, श्रीगंगानगर** जरिये जितेन्द्र सिंह बडेसरा मुख्य प्रबन्धक, सिंडिकेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, 3 ए विद्याश्रम इंस्टीट्यूनशन एरिया, जेएलएन मार्ग, जयपुर **बनाम 1. श्रीमती हेमलता बंसल पत्नी** श्री गौरीशंकर बंसल **2. गौरीशंकर बंसल** पुत्र श्री राधेश्याम बंसल निवासी मकान नं. 30, नेहरा नगर, नजदीक बंसल चौक, श्रीगंगानगर **3. श्री चतुर मोहन सिंह** पुत्र श्री बलवंत सिंह , निवासी मकान नं. 637 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री संजय वर्मा, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण हेमलता बंसल, गौरीशंकर बंसल एवं चतुर मोहन सिंह द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी श्रीमती हेमलता बंसल ऋणी द्वारा बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 30 (क्षेत्रफल 15' गुणा 50'), चक 6 ई छोटी, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 03, नजदीक बंसल चौक, नेहरा नगर, श्रीगांगनगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.06.2018 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक, अप्रार्थी ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 07.06.2018 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी सिंडिकेट बैंक श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत श्रीमती हेमलता बसंल, श्री गौरीशंकर बंसल एवं श्री चतुर मोहन सिंह के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 30 (क्षेत्रफल 15' गुणा 50'), चक 6 ई छोटी, मुरब्बा नं. 22, किल्ला नं. 3, नजदीक बंसल चौक, नेहरा नगर, श्रीगांगनगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वे इस प्रकरण में किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी सिंडिकेट बैंक, श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 07.06.2016 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर